प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल काम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / सी0एच0 / डी0एम0 / 29 / 2017–18 / 658–75 **दिनांक** 27 **.04.2017**

विषय–बाल्यावस्था दस्त प्रबंधन के अन्तर्गत ओ0आर0एस0 एवं जिंक के जनपद स्तर पर क्रय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग 11 प्रतिशत मृत्यु दस्त के कारण होती है। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दस्त प्रबंधन में जिंक एवं ओ0आर0एस0 को संयुक्त उपचार हेतु सफल घोषित किया गया है।

कार्यक्रम के संचालन हेतु पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0 एच0एम0 / आर0आई0 / जिंक एवं ओ0आर0एस0 / 2013–14 / 27 / 639–75, दिनांक 15.05.2014 एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–प0क0 / आर0सी0एच0 / निमो0 डाय0 / 2015–16 / 2135–75 दिनांकः 12.08.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, उक्त पत्र के माध्यम से बाल्यावस्था दस्त प्रबन्धन में ओ0आर0एस0 एवं जिंक के प्रयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

वित्त पोषण–

बाल्यावस्था में डायरिया मैनेजमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत ओ0आर0एस0 एवं जिंक का जनपद स्तर पर क्रय किये जाने हेतु **FMR Code B.16.2.2.1** पर जनपदवार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। ओ0आर0एस0 एवं जिंक का क्रय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्गत किये गये दर अनुबन्ध के अनुसार, ओ0आर0एस0 का दर अनुबन्ध रू0 1.94 प्रति पैकेट की दर से एवं जिंक टेबलेट का अनुबन्ध रू0 1.17 प्रति 10 टेबलेट की दर से किया गया है **पत्र के साथ संलग्न तालिका** में जनपदवार अवमुक्त धनराशि का विस्तृत विवरण संलग्न किया जा रहा है। जनपद स्तर पर ओ0आर0एस0 एवं जिंक का नियमानुसार दर अनुबन्ध के आधार पर क्रय कर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें।

आपको निर्देशित किया जाता है, कि जनपद स्तर / ब्लाक स्तर पर आयोजित चिकित्सा अधिकारियों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों (फील्ड लेवल वर्कर) की मासिक बैठकों में उपरोक्त विषय पर चर्चा की जाये, ओ0आर0एस0 एवं जिंक की चिकित्सालयों में एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। उक्त कार्यक्रम में अपने जनपद में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को भी इन बैठकों की तिथि एवं समय के विषय में सूचना देकर उनसे आवश्यक सहयोग लेकर दस्तरोग के उपचार तथा ओ0आर0एस0 एवं जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु गहन प्रयास किये जायें।

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।

4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण एफ0एम0आर0 के अनुसार लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **नोडल अधिकारी** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. **इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/डी0एम0/29/2017–18/ दिनांक .04.2017

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **अपर मुख्य सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. **महानिदेशक**, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें स्वास्थ्य भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
3. **महानिदेशक,** परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
4. **निदेशक, भण्डार,** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
7. **महाप्रबन्धक, प्रोक्योरमेण्ट,** राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
8. **समस्त, मण्डलीय कार्यक्रम** प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. **समस्त, जनपदीय कार्यक्रम** प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

District wise detail of Requirement of Zinc and ORS for Diarrheal Cases and Budget allocation for Year 2017-18

S.N.	District	Target 0-5 year children	Expected yearly childhood diarrheal cases @1.71per child annual as per NCMH 2005, GoI	No of cases attending to Public Health Facility (25%) of all Diarrheal cases	For Public Health Facility and for sub center: Zinc dispersible 20 mg Tablets: For Public Health Facility (14 tabs per episode	No. of Sub Center	For sub center 1400 tabs/ Sub center (Use of ANM and ASHA)	No of tablets of Zinc to be procured for 17-18	Total Budget allocation to District @ Rs. 0.117/per 20 mg dispersible tab	Oral Rehydration Salt Packet, WHO formula: For Public Health Facility @ 2 packets per episode	For sub center 200 packets/ Sub center (Use of ANM and ASHA)	Total No of ORS Packets to be procured for 17-18	(ORS Packet) @ Rs. 1.94/per Packet	Total Budget allocation to District Tab. Zinc & (ORS Packet)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	FMR Code	B.16.2.2.1												
1	Agra	584599	999664	249916	3498825	390	546000	4044825	473245	499832	78000	577832	1120994	**1594239**
2	Aligarh	490260	838345	209586	2934206	333	466200	3400406	397848	419172	66600	485772	942398	**1340246**
3	Allahabad	795310	1359980	339995	4759930	550	770000	5529930	647002	679990	110000	789990	1532581	**2179583**
4	Ambedkar Nagar	320098	547368	136842	1915787	269	376600	2292387	268209	273684	53800	327484	635319	**903528**
5	Amethi	324883	555550	138887	1944425	212	296800	2241225	262223	277775	42400	320175	621139	**883363**
6	Amroha	245376	419593	104898	1468575	169	236600	1705175	199506	209796	33800	243596	472577	**672083**
7	Auraiya	183126	313145	78286	1096009	157	219800	1315809	153950	156573	31400	187973	364667	**518617**
8	Azamgarh	616054	1053452	263363	3687083	474	663600	4350683	509030	526726	94800	621526	1205761	**1714791**
9	Baghpat	173767	297142	74285	1039995	187	261800	1301795	152310	148571	37400	185971	360783	**513093**
10	Bahraich	464159	793712	198428	2777992	310	434000	3211992	375803	396856	62000	458856	890181	**1265984**
11	Ballia	430182	735611	183903	2574639	351	491400	3066039	358727	367806	70200	438006	849731	**1208457**
12	Balrampur	286784	490401	122600	1716402	206	288400	2004802	234562	245200	41200	286400	555617	**790178**
13	Banda	240141	410641	102660	1437244	277	387800	1825044	213530	205321	55400	260721	505798	**719328**
14	Barabanki	434764	743446	185862	2602063	338	473200	3075263	359806	371723	67600	439323	852287	**1212093**
15	Bareilly	595882	1018958	254740	3566354	423	592200	4158554	486551	509479	84600	594079	1152513	**1639064**
16	Basti	328418	561595	140399	1965582	260	364000	2329582	272561	280797	52000	332797	645627	**918188**
17	Bhadohi	207402	354657	88664	1241301	155	217000	1458301	170621	177329	31000	208329	404158	**574779**
18	Bijnor	491601	840638	210159	2942232	343	480200	3422432	400425	420319	68600	488919	948503	**1348927**
19	Badaun	426012	728481	182120	2549682	301	421400	2971082	347617	364240	60200	424440	823414	**1171031**
20	Bulandshahar	466861	798332	199583	2794163	329	460600	3254763	380807	399166	65800	464966	902034	**1282842**

District wise detail of Requirement of Zinc and ORS for Diarrheal Cases and Budget allocation for Year 2017-18

S.N.	District	Target 0-5 year children	Expected yearly childhood diarrheal cases @1.71per child annual as per NCMH 2005, GoI	No of cases attending to Public Health Facility (25%) of all Diarrheal cases	For Public Health Facility and for sub center — Zinc dispersible 20 mg Tablets: For Public Health Facility (14 tabs per episode	No. of Sub Center	For sub center 1400 tabs/ Sub center (Use of ANM and ASHA)	No of tablets of Zinc to be procured for 17-18	Total Budget allocation to District @ Rs. 0.117/per 20 mg dispersible tab	Oral Rehydration Salt Packet, WHO formula: For Public Health Facility @ 2 packets per episode	For sub center 200 packets/ Sub center (Use of ANM and ASHA)	Total No of ORS Packets to be procured for 17-18	(ORS Packet) @ Rs. 1.94/per Packet	Total Budget allocation to District Tab. Zinc & (ORS Packet)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	FMR Code	B.16.2.2.1												
21	Chandauli	260581	445594	111398	1559577	230	322000	1881577	220145	222797	46000	268797	521466	**741610**
22	Chitrakoot	132195	226053	56513	791187	129	180600	971787	113699	113027	25800	138827	269324	**383023**
23	Deoria	413500	707085	176771	2474798	313	438200	2912998	340821	353543	62600	416143	807316	**1148137**
24	Etah	235018	401881	100470	1406583	181	253400	1659983	194218	200940	36200	237140	460052	**654270**
25	Etawah	210732	360352	90088	1261231	162	226800	1488031	174100	180176	32400	212576	412397	**586497**
26	Faizabad	329394	563264	140816	1971423	287	401800	2373223	277667	281632	57400	339032	657722	**935389**
27	Farrukhabad	251889	430730	107683	1507556	185	259000	1766556	206687	215365	37000	252365	489588	**696275**
28	Fatehpur	351321	600759	150190	2102656	306	428400	2531056	296134	300379	61200	361579	701464	**997598**
29	Firozabad	333182	569741	142435	1994094	211	295400	2289494	267871	284871	42200	327071	634517	**902388**
30	G B Nagar	223884	382842	95710	1339946	124	173600	1513546	177085	191421	24800	216221	419468	**596553**
31	Gaziabad	450835	770928	192732	2698247	144	201600	2899847	339282	385464	28800	414264	803672	**1142954**
32	Ghazipur	483438	826679	206670	2893376	393	550200	3443576	402898	413339	78600	491939	954363	**1357261**
33	Gonda	457904	783016	195754	2740555	324	453600	3194155	373716	391508	64800	456308	885237	**1258954**
34	Gorakhpur	592002	1012323	253081	3543132	510	714000	4257132	498084	506162	102000	608162	1179834	**1677918**
35	Hamirpur	147327	251929	62982	881752	203	284200	1165952	136416	125965	40600	166565	323135	**459552**
36	Hapor	171217	292781	73195	1024734	176	246400	1271134	148723	146391	35200	181591	352286	**501008**
37	Hardoi	545978	933622	233406	3267678	413	578200	3845878	449968	466811	82600	549411	1065858	**1515825**
38	Hathras	208933	357275	89319	1250464	194	271600	1522064	178081	178638	38800	217438	421829	**599911**
39	Jalaun	222950	381245	95311	1334356	278	389200	1723556	201656	190622	55600	246222	477671	**679327**
40	Jaunpur	597313	1021405	255351	3574918	466	652400	4227318	494596	510703	93200	603903	1171571	**1666167**

District wise detail of Requirement of Zinc and ORS for Diarrheal Cases and Budget allocation for Year 2017-18

S.N.	District	Target 0-5 year children	Expected yearly childhood diarrheal cases @1.71per child annual as per NCMH 2005, GoI	No of cases attending to Public Health Facility (25%) of all Diarrheal cases	For Public Health Facility and for sub center — Zinc dispersible 20 mg Tablets: For Public Health Facility (14 tabs per episode	No. of Sub Center	For sub center 1400 tabs/ Sub center (Use of ANM and ASHA)	No of tablets of Zinc to be procured for 17-18	Total Budget allocation to District @ Rs. 0.117/per 20 mg dispersible tab	Oral Rehydration Salt Packet, WHO formula: For Public Health Facility @ 2 packets per episode	For sub center 200 packets/ Sub center (Use of ANM and ASHA)	Total No of ORS Packets to be procured for 17-18	(ORS Packet) @ Rs. 1.94/per Packet	Total Budget allocation to District Tab. Zinc & (ORS Packet)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	FMR Code	B.16.2.2.1												
41	Jhansi	266992	456556	114139	1597947	326	456400	2054347	240359	228278	65200	293478	569348	**809706**
42	Kannauj	221254	378344	94586	1324205	181	253400	1577605	184580	189172	36200	225372	437222	**621802**
43	Kanpur Dehat	239548	409627	102407	1433695	213	298200	1731895	202632	204814	42600	247414	479982	**682614**
44	Kanpur Nagar	610241	1043512	260878	3652292	381	533400	4185692	489726	521756	76200	597956	1160035	**1649761**
45	Kasganj	191916	328176	82044	1148617	162	226800	1375417	160924	164088	32400	196488	381187	**542111**
46	Kaushambi	213101	364403	91101	1275409	166	232400	1507809	176414	182201	33200	215401	417879	**594292**
47	Kushinagar	475178	812554	203139	2843940	356	498400	3342340	391054	406277	71200	477477	926306	**1317360**
48	Kheri	535603	915881	228970	3205584	386	540400	3745984	438280	457941	77200	535141	1038173	**1476453**
49	Lalitpur	162535	277935	69484	972771	185	259000	1231771	144117	138967	37000	175967	341377	**485494**
50	Lucknow	612310	1047050	261763	3664675	329	460600	4125275	482657	523525	65800	589325	1143291	**1625948**
51	Maharajganj	355672	608199	152050	2128697	278	389200	2517897	294594	304100	55600	359700	697817	**992411**
52	Mahoba	116906	199909	49977	699682	150	210000	909682	106433	99955	30000	129955	252112	**358545**
53	Mainpuri	246500	421515	105379	1475303	201	281400	1756703	205534	210758	40200	250958	486858	**692392**
54	Mathura	339205	580041	145010	2030142	206	288400	2318542	271269	290020	41200	331220	642567	**913837**
55	Mau	294271	503203	125801	1761212	210	294000	2055212	240460	251602	42000	293602	569587	**810047**
56	Meerut	460042	786672	196668	2753351	312	436800	3190151	373248	393336	62400	455736	884128	**1257375**
57	Mirzapur	332885	569233	142308	1992317	251	351400	2343717	274215	284617	50200	334817	649544	**923759**
58	Moradabad	418706	715987	178997	2505955	260	364000	2869955	335785	357994	52000	409994	795388	**1131172**
59	Muzaffarnagar	357715	611693	152923	2140924	266	372400	2513324	294059	305846	53200	359046	696550	**990609**
60	Pilibhit	271859	464879	116220	1627076	192	268800	1895876	221818	232439	38400	270839	525429	**747246**

District wise detail of Requirement of Zinc and ORS for Diarrheal Cases and Budget allocation for Year 2017-18

S.N.	District	Target 0-5 year children	Expected yearly childhood diarrheal cases @1.71per child annual as per NCMH 2005, GoI	No of cases attending to Public Health Facility (25%) of all Diarrheal cases	For Public Health Facility and for sub center: Zinc dispersible 20 mg Tablets: For Public Health Facility (14 tabs per episode	No. of Sub Center	For sub center 1400 tabs/ Sub center (Use of ANM and ASHA)	No of tablets of Zinc to be procured for 17-18	Total Budget allocation to District @ Rs. 0.117/per 20 mg dispersible tab	Oral Rehydration Salt Packet, WHO formula: For Public Health Facility @ 2 packets per episode	For sub center 200 packets/ Sub center (Use of ANM and ASHA)	Total No of ORS Packets to be procured for 17-18	(ORS Packet) @ Rs. 1.94/per Packet	Total Budget allocation to District Tab. Zinc & (ORS Packet)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	FMR Code	B.16.2.2.1												
61	Pratapgarh	423524	724226	181057	2534791	344	481600	3016391	352918	362113	68800	430913	835971	**1188889**
62	Raebareilly	343101	586703	146676	2053459	327	457800	2511259	293817	293351	65400	358751	695978	**989795**
63	Rampur	311649	532920	133230	1865219	204	285600	2150819	251646	266460	40800	307260	596084	**847730**
64	Saharanpur	462287	790511	197628	2766788	345	483000	3249788	380225	395255	69000	464255	900655	**1280881**
65	Shambhal	287686	491943	122986	1721801	216	302400	2024201	236831	245972	43200	289172	560993	**797824**
66	Santkabir Nagar	228766	391190	97797	1369165	176	246400	1615565	189021	195595	35200	230795	447742	**636763**
67	Shahjahanpur	400655	685120	171280	2397920	284	397600	2795520	327076	342560	56800	399360	774758	**1101834**
68	Shamli	194565	332706	83177	1164472	128	179200	1343672	157210	166353	25600	191953	372389	**529599**
69	Shrawasti	148741	254347	63587	890215	117	163800	1054015	123320	127174	23400	150574	292113	**415432**
70	Siddharthnagar	340757	582694	145674	2039431	278	389200	2428631	284150	291347	55600	346947	673078	**957227**
71	Sitapur	597096	1021034	255259	3573620	441	617400	4191020	490349	510517	88200	598717	1161511	**1651860**
72	Sonebhadra	248558	425034	106259	1487620	174	243600	1731220	202553	212517	34800	247317	479795	**682348**
73	Sultanpur	292158	499590	124898	1748566	245	343000	2091566	244713	249795	49000	298795	579662	**824376**
74	Unnao	415096	709814	177454	2484350	345	483000	2967350	347180	354907	69000	423907	822380	**1169560**
75	Varanasi	491374	840250	210062	2940873	306	428400	3369273	394205	420125	61200	481325	933770	**1327975**
	Total Funs	**26633724**	**45543668**	**11385917**	**159402838**	**20204**	**28285600**	**187688438**	**21959547**	**22771834**	**4040800**	**26812634**	**52016510**	**73976057**

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल काम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / सी0एच0 / डी0एम0 / 29 / 2017–18 / **दिनांक** 27 **.04.2017**

विषय–बाल्यावस्था दस्त प्रबंधन के अन्तर्गत ओ0आर0एस0 एवं जिंक के जनपद स्तर पर क्रय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग 11 प्रतिशत मृत्यु दस्त के कारण होती है। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दस्त प्रबंधन में जिंक एवं ओ0आर0एस0 को संयुक्त उपचार हेतु सफल घोषित किया गया है।

कार्यक्रम के संचालन हेतु पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / आर0आई0 / जिंक एवं ओ0आर0एस0 / 2013–14 / 27 / 639–75, दिनांक 15.05.2014 एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–प0क0 / आर0सी0एच0 / निमो0 डाय0 / 2015–16 / 2135–75 दिनांकः 12.08.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, उक्त पत्र के माध्यम से बाल्यावस्था दस्त प्रबन्धन में ओ0आर0एस0 एवं जिंक के प्रयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

वित्त पोषण–

बाल्यावस्था में डायरिया मैनेजमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत ओ0आर0एस0 एवं जिंक का जनपद स्तर पर क्रय किये जाने हेतु **FMR Code B.16.2.2.1** पर जनपदवार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। ओ0आर0एस0 एवं जिंक का क्रय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्गत किये गये दर अनुबन्ध के अनुसार, ओ0आर0एस0 का दर अनुबन्ध रू0 1.94 प्रति पैकेट की दर से एवं जिंक टेबलेट का अनुबन्ध रू0 1.17 प्रति 10 टेबलेट की दर से किया गया है **पत्र के साथ संलग्न तालिका** में जनपदवार अवमुक्त धनराशि का विस्तृत विवरण संलग्न किया जा रहा है। जनपद स्तर पर ओ0आर0एस0 एवं जिंक का नियमानुसार दर अनुबन्ध के आधार पर क्रय कर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें।

आपको निर्देशित किया जाता है, कि जनपद स्तर / ब्लाक स्तर पर आयोजित चिकित्सा अधिकारियों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों (फील्ड लेवल वर्कर) की मासिक बैठकों में उपरोक्त विषय पर चर्चा की जाये, ओ0आर0एस0 एवं जिंक की चिकित्सालयों में एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। उक्त कार्यक्रम में अपने जनपद में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को भी इन बैठकों की तिथि एवं समय के विषय में सूचना देकर उनसे आवश्यक सहयोग लेकर दस्तरोग के उपचार तथा ओ0आर0एस0 एवं जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु गहन प्रयास किये जायें।

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।

4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण एफ0एम0आर0 के अनुसार लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **नोडल अधिकारी** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. **इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/डी0एम0/29/2017–18/ 568-7597 **दिनांक** 27**.04.2017**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **अपर मुख्य सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. **महानिदेशक**, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें स्वास्थ्य भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
3. **महानिदेशक,** परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
4. **निदेशक, भण्डार,** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
7. **महाप्रबन्धक, प्रोक्योरमेण्ट,** राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
8. **समस्त, मण्डलीय कार्यकम** प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. **समस्त, जनपदीय कार्यकम** प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य